हिमाचल प्रदेश सरकार
परिवहन विभाग

संख्या टी.पी.टी.–ए(3)–7/2019–II तारीखः शिमला–02 01–11–2023

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, राजपत्र (ई–गज़ट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 9 दिसम्बर, 2021 को यथाप्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना संख्या टी.पी.टी.–ए(3)–7/2015, तारीख 6 दिसम्बर, 2021 और राजपत्र (ई–गज़ट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 13 जुलाई, 2023 को यथाप्रकाशित अधिसूचना संख्या टी.पी.टी.–ए(3)–7/2019–II, तारीख 11 जलाई, 2023 के अतिक्रमण में विभाग की अधिसूचना संख्या टी.पी.टी.–सी(9)–6/2004, तारीख 9 जनवरी, 2006 के अनुक्रम में हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 (क) की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में उपयोग में लाए गए या उपयोग हेतु रखे गए निम्नलिखित परिवहन यानों पर "विशेष पथ कर (एस.आर.टी.)" राज्य सरकार को निम्नलिखित वर्णित दरों पर उद्गृहित, प्रभारित और संदत्त किया जाएगा :–

अ. हिमाचल प्रदेश राज्य में रजिस्ट्रीकृत मोटर यानों हेतु विशेष पथकर :–

रकम रूपए में

क्रम संख्या	**यान की श्रेणी**	**चालक को अपवर्जित करके यात्री क्षमता**	**विशेष पथ कर**
1.	संविदा गाड़ियां	ऑटो रिक्शा	₹363/– प्रति वर्ष
		पांच से कम सीटें	₹1350/–प्रति वर्ष 1000 सी सी तक
			₹2400/– प्रति वर्ष 1000 सी सी से 1500 सी सी तक
			₹2800/– प्रति वर्ष 1500 सी सी से ऊपर
		पांच या अधिक परन्तु दस से कम सीटें	₹800/– प्रति सीट प्रति वर्ष
		दस या अधिक परन्तु तेईस से कम सीटें	₹1000/– प्रति सीट प्रति वर्ष
		तेईस या अधिक सीटें	₹1500/– प्रति सीट प्रति वर्ष
2.	शिक्षण संस्थान के साथ संबद्ध संविदा गाड़ी	पांच या अधिक परन्तु दस से कम सीटें	₹500/– प्रति सीट प्रति वर्ष
		दस या अधिक परन्तु तेईस से कम सीटें	
		तेईस या अधिक सीटें	
3.	प्राइवेट सेवा यान	छः या अधिक परन्तु दस से कम सीटें	
		दस या अधिक परन्तु तेईस से	

		कम सीटें तेईस या अधिक सीटें	₹500/– प्रति सीट प्रति वर्ष
4.	माल वाहक वाहन	(क) मल्टी एक्सल	₹10000/– प्रति वर्ष
		(ख) भारी माल यान	₹6000/– प्रति वर्ष
		(ग) मध्यम माल यान	₹3000/– प्रति वर्ष
		(घ) हल्का माल यान (10 से 20 क्विंटल)	₹2000/– प्रति वर्ष
		(ड.) हल्का माल यान (10 क्विंटल से कम)	₹1000/– प्रति वर्ष
		(च) ट्रैक्टर (सार्वजनिक वाहन या प्राइवेट वाहन अनुज्ञापत्र के साथ चलने वाले जब वे ऐसा माल वहन कर रहें हो जो स्वामी से सम्बन्धित कृषि के आनुषंगिक न हो)	₹2000/– प्रति वर्ष
5.	वैनिटी वैन/कैम्पर वैन/मोटर कारवां/वैन	हल्के मोटर यान	₹8500/– प्रति वर्ष
		मध्यम मोटर यान	₹10500/– प्रति वर्ष
		भारी मोटर यान	₹12500/– प्रति वर्ष

आ. अन्य राज्यों में रजिस्ट्रीकृत और हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करने वाले मोटर यानों हेतु विशेष पथकर :–

क्रम संख्या	**यान का प्रवर्ग**	**चालक को अपवर्जित करके यात्री क्षमता**	(रूपए में रकम)		
			प्रतिदिन	**तीन दिन**	**साप्ताहिक**
1.	संविदा परिवहन बसें, जो अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (अनुज्ञापत्र) नियम, 2023 के अंतर्गत आती है और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ।	13 से 22 सीटें	₹500/–	₹1000/–	₹2000/–
		23 सीटें और ऊपर	₹1500/–	₹3000/–	₹6000/–
2.	हिमाचल प्रदेश में करार के अधीन संविदा (कैरिज) गाड़ी/ यान	पांच से कम सीटें	₹4000/– प्रति सीट प्रति वर्ष		
		पांच या अधिक परन्तु दस से कम सीटें			
		दस या अधिक परन्तु तेईस से कम सीटें			
		तेईस से अधिक सीटें			
3.	प्राइवेट सेवा यान	छः या अधिक परन्तु दस से कम सीटें			

		दस या अधिक परन्तु तेईस से कम सीटें	₹3500/– प्रति सीट प्रति वर्ष
		तेईस या अधिक सीटें	
4.	संविदा गाड़ी परमिट (अनुज्ञापत्र) पर चलने वाले यान जो ऑल इण्डिया टूरिस्ट परमिट नियम, 2023 या किसी अन्य समान अनुज्ञापत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं ।	पांच से कम सीटें	₹200/– प्रतिदिन (24 घंटे)
		पांच या अधिक परन्तु दस से कम सीटें	₹500/– प्रतिदिन (24 घंटे)
		दस या अधिक परन्तु तेईस से कम सीटें	₹750/– प्रतिदिन (24 घंटे)
		तेईस या अधिक सीटें	₹1500/– प्रतिदिन (24 घंटे)
5.	माल वाहक वाहन	(क) मल्टी एक्सल	₹15000/–प्रति वर्ष
		(ख) भारी माल यान	₹10000/– प्रति वर्ष
		(ग) मध्यम माल यान	₹6000/– प्रति वर्ष
		(घ) हल्का माल यान (10 से 20 क्विंटल के मध्य)	₹4000/– प्रति वर्ष
		(ड.) हल्का माल यान (10 क्विंटल से कम)	₹2000/– प्रति वर्ष
		(च) ट्रैक्टर (सार्वजनिक वाहन या प्राइवेट वाहन अनुज्ञापत्र के साथ चलने वाले जब वे ऐसा माल वहन कर रहें हो, जो स्वामी से सम्बन्धित कृषि के आनुषंगिक न हो)	₹3000/– प्रति वर्ष
6.	वैनिटी वैन/कैम्पर वैन/मोटर कारवां/वैन	हल्के मोटर यान	
		मध्यम मोटर यान	
		भारी मोटर यान	₹7500/– प्रति तिमाही

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, और आदेश करते हैं कि यात्री और माल कर के बदले में उदगृहीत या प्रभारित विशेष पथ कर अग्रिम में देय होगा और कर के संदाय का समय और घोषणा का परिदान हिमाचल प्रदेश मोटर यान कर नियम, 1974 के नियम 4 के अनुसार होगा ।

कर के संदाय में विलम्ब की दशा में, उक्त नियमों के नियम 4–क के अधीन शास्ति प्रभारित की जाएगी और उक्त नियमों में प्रत्येक माह की 16 तारीख को शास्ति की संगणना करने का उपबन्ध उक्त यानों की दशा में लागू नहीं होगा । तथापि, संविदा गाड़ी बसों की दशा में प्रचालक प्रत्येक माह की 15 तारीख से पहले अंतिम निर्धारण के आधार पर औसत मासिक रकम जमा

करेगा और अगली तिमाही के पहले महीने की 15 तारीख से पूर्व कराधान प्राधिकारी (सम्बद्ध क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी) को त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा । विलम्ब की दशा में उक्त नियमों के नियम 4–क में यथा उपबंधित के अनुसार शास्ति की संगणना प्रत्येक माह की 16 तारीख को की जाएगी ।

इस खाते में प्राप्त भुगतान हिमाचल प्रदेश के सरकारी कोष में मुख्य शीर्ष ''0041–यानों पर कर'' लघु शीर्ष ''102–राज्य मोटर यान कर अधिनिमय के अधीन प्राप्तियां ''उप–शीर्ष (i)'' ओ एस–विशेष पथ कर शास्ति'' के अधीन जमा किए जाएंगें और भुगतान के प्रमाण के रूप में प्राप्त कोष चालान को कराधान प्राधिकारी को भेजा जाएगा ।

नए रजिस्ट्रीकृत यानों की बाबत यह अधिसूचना (ई–गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी । हिमाचल प्रदेश यात्री और माल कराधान अधिनियम,1955 के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत यानों की दशा में आबकारी विभाग 31 दिसम्बर, 2021 तक यात्री और माल कर संगृहीत करेगा तथा 01 जनवरी, 2022 से यात्री और माल कर संगृहीत करना बन्द कर देगा तथा ऐसे प्रचालकों के पक्ष में निराक्षेप (अनापत्ति) और कर–शोधन प्रमाण पत्र जारी करेगा ताकि परिवहन विभाग साथ–साथ 01 जनवरी, 2022 से यानों समस्त स्वामियों से विशेष पथकर संगृहीत करना प्रारम्भ कर सके । वे प्रचालक, जिन्होने सम्पूर्ण वर्ष के लिए यात्री और माल कर संदत्त कर दिया है, वे सम्बद्ध कराधान प्राधिकारी को आबकारी और कराधान प्राधिकारी द्वारा जारी निराक्षेप (अनापत्ति) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर परिवहन विभाग के पास भी विशेष पथ कर संदाय करना प्रारम्भ कर सकेंगे।

मोटरयानों के उपरोक्त प्रवर्गों के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :–

1. बैटरी चालित मोटरयान और मिथॉनॉल या इथोनॉल ईंधन चालित मोटरयान की दशा में, विशेष पथकर राज्य सरकार को उपरोक्त दरों की 50 प्रतिशत की दर उद्गृहीत, प्रभारित और संदत किया जाएगा, तथापि, पांच सीटों (चालक को अपवर्जित करते हुए) से कम वाले मोटरयान को प्रभारित और संदत्त किए जाएंगे ।
2. यदि अन्य राज्य का मोटरयान राज्य में विशेष पथकर का संदाय किए बिना चलता हुआ पाया जाता है तो व्यतिक्रमी से हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 17(4) के उपबन्धों के अधीन यान के प्रत्येक प्रवर्ग में देय विशेष पथकर के पांच गुणा के समान अतिरिक्त कर वसूला जाएगा ।

ये दरें दिनांक 1.12.2023 से लागू होंगी ।

आर.डी.नजीम,
प्रधान सचिव (परिवहन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(Authoritative English Text of this Department Notification No. TPT-A(3)-7/2019-II, dated 01-11-2023 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Transport

No. TPT-A(3)-7/2019-II Dated: Shimla-2, the 01-11-2023

NOTIFICATION

In supersession to this department's notification No. TPT-A(3)-3/2015, dated 6th December, 2021, as published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh dated 09th December, 2021 and Notification No.TPT-A(3)-7/2019-II, dated 11th July, 2023, as published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh dated 13th July, 2023, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by **sub-section (1) of section 3-A** of Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act 1972(Act 4 of 1973), in continuation of this Departments's notification No.TPT-C(9)-6/2004, dated 9th January,2006, is pleased to order that "Special Road Tax (SRT)" shall be levied, charged and paid to the State Government on the following Transport vehicles used or kept for use, in Himachal Pradesh at the rates mentioned below:-

A. SPECIAL ROAD TAX FOR THE MOTOR VEHICLES REGISTERED IN THE STATE OF HIMACHAL PRADESH

Amount in Rupees

Sr. No.	Category of Vehicle	Passenger capacity excluding driver	Special Road Tax
1.	CONTRACT CARRIAGE	Auto Rickshaw	₹ 363/- per annum
		Less than five seats	₹ 1350/- per annum upto 1000CC ₹2400/- per annum above 1000CC to 1500CC ₹2800/- per annum Above 1500 CC
		Five or more but less than ten seats	₹ 800/- per seat per annum
		Ten or more but less than	₹1000/- per seat per annum

		twenty three seats	
		Twenty three or more seats	₹1500/- per seat per annum
2.	CONTRACT CARRIAGE ATTACHED WITH EDUCATIONAL INSTITUTION	Five or more but less than ten seats	₹500/- per seat per annum
		Ten or more but less than twenty three seats	
		Twenty three or more seats	
3.	PRIVATE SERVICE VEHICLES	Six or more but less than ten seats	₹ 500/- per seat per annum
		Ten or more but less than twenty three seats	
		Twenty three or more seats	
4.	GOODS CARRIAGES	(a) Multi Axle	₹ 10,000/- per annum
		(b) Heavy Goods Vehicle	₹ 6,000/- per annum
		(c) Medium Goods Vehicle	₹3,000/- per annum
		(d) Light Goods Vehicle (Between 10 and 20 quintals)	₹ 2,000/- per annum
		(e) Light Goods Vehicle (Less than 10 quintals	₹1,000/- per annum
		(f) Tractor (plying with public carrier or private carrier permit when carrying goods which are not incidental to agriculture belonging of the owner).	₹ 2,000/- per annum
5.	VANITY VAN/CAMPER VAN/MOTOR CARVAN	Light Motor Vehicle	₹ 8500/- per annum
		Medium Motor Vehicle	₹ 10500/- per annum
		Heavy Motor Vehicle	₹12500/- per annum

B. VEHICLES REGISTERED IN THE OTHER STATE AND ENTERING IN THE STATE OF HIMACHAL PRADESH

(Amount in Rupees)

Sr. No.	Category of Vehicle	Passenger capacity excluding driver	Per Day	Three Days	Weekly
1.	CONTRACT CARRIAGE BUSES COVERED UNDER ALL INDIA TOURIST VEHICLES (PERMIT) RULES, 2023 AND ENTERING IN HIMACHAL PRADESH	13 to 22 seats	₹ 500/-	₹1000/-	₹ 2000/-
		23 seats & above	₹1500/-	₹3000/-	₹ 6000/-
2	CONTRACT CARRIAGE VEHICLES UNDER AGREEMENT IN HIMACHAL PRADESH	Less than five seats	₹ 4000/- per seat per annum		
		Five or more but less than ten seats			
		Ten or more but less than twenty three seats			
		Twenty three or more seats			
3.	PRIVATE SERVICE VEHICLES	Six or more but less than ten seats	₹ 3500/- per seat per annum		
		Ten or more but less than twenty three seats			
		Twenty three or more seats			
4.	VEHICLES PLIED ON CONTRACT CARRIAGE PERMIT NOT COVERED UNDER AITP RULES 2023 OR ON ANY OTHER SIMILAR	Less than five seats	₹ 200/-per day (24 hour)		
		Five or more but less than ten seats	₹ 500/- per day (24 hour)		
		Ten or more but less than twenty three seats	₹ 750/- per day (24 hour)		

	PERMITS	Twenty three or more seats	₹ 1500/- per day (24 hour)
5	GOODS CARRIAGE VEHICLE	(a) Multi Axle	₹15000/- per annum
		(b) Heavy Goods Vehicle	₹ 10000/- per annum
		(c) Medium Goods Vehicle	₹ 6000/- per annum
		(d) Light Goods Vehicle (Between 10 and 20 quintals)	₹ 4000/- per annum
		(e) Light Goods Vehicle (Less than 10 quintals)	₹2000/- per annum
		(f) Tractor (plying with public carrier or private carrier permit when carrying goods which are not incidental to agriculture belonging of the owner).	₹3000/- per annum
6	VANITY VAN/ CAMPER VAN/ MOTOR CARVAN	Light Motor Vehicle	₹ 7500/- per quarter
		Medium Motor Vehicle	
		Heavy Motor Vehicle	

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that the Special Road Tax in lieu of Passenger and Goods Tax to be levied or charged shall be payable in advance and time for payment of tax and delivery of declaration shall be as per rule 4 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Rules, 1974.

In case of delay in payment of tax, penalty shall be charged under rule 4-A of the said rules and the provision of computing penalty on the 16th day of every month in said rules shall not be applicable in case of the above vehicles. However, in case of Contract Carriage buses the operator will deposit average amount monthly on the basis of last assessment before the 15th of each month and further submit quarterly return to the taxation authority (RTO concerned) by 15th of next quarter of first month. In case of delay penalty shall be computed on the 16th day of every month as provided in rule 4-A of the said rules.

The payments received on this account shall be deposited into Government Treasury under Himachal Pradesh under Major Head "0041-Taxes on Vehicles" Minor Head "102-Receipts

under the State Motor Vehicles Taxation Act" Sub-Heads (i) "OS-Special Road Tax" (ii) "06-Penalty on Special Road Tax and the treasury challan received in token of the payment shall be sent to the Taxation Authority.

This notification in respect of newly registered vehicles shall come into effect from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh. In case vehicles already registered under The Himachal Pradesh Passenger and Goods Taxation Act, 1955, Department of Excise shall collect Passengers and Goods Tax till 31 December, 2021 and stop collecting Passenger and Goods Tax from 01.01.2022 and issue No Objection and Tax Clearance (NOTC) certificate in favour of such operators so that simultaneously Department of Transport could start collecting Special Road Tax from all owners of vehicles from 1st January, 2022. In case of operators who have paid PGT for the whole year can also start paying Special Road Tax with the Department of Transport on production of NOC issued by the Excise and Taxation Authority to the concerned taxation authority.

The following conditions shall apply for the above categories of motor vehicles:-

1. In the case of battery operated motor vehicle and motor vehicle driven on methanol or ethanol fuel, Special Road Tax (SRT) shall be levied, charged and paid to the State Government @50% of above rates. However, in the case of motor vehicle which is having less than five seats (excluding driver), Rs. 1500/- per annum shall be charged and paid to the State Government.
2. In case, motor vehicle of the other State is found plying in the State without payment the Special Road Tax, then the additional Tax which is equivalent to five times of the Special Road Tax due in each category of vehicle shall be recovered from the defaulters under the provisions of section 17(4) of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972.

These rates shall be applicable with effect from 01-12-2023.

R.D. Nazeem

Principal Secretary (Transport) to the,
Government of Himachal Pradesh.